राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जॉच) विभाग

क्रमाक प–1(244) कार्मिक/क–3/जॉच/2010 जयपुर, दिनांकः **15 NOV 2018**

आदेश

श्री सुभाष चन्द जैन, तत्कालीन औषधि नियत्रण अधिकारी, चित्तौडगढ के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियत्रण एव अपील) नियम, 1958 के नियम–16 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ कर समसंख्यक ज्ञापन दिनाक 07 12 2017 आरोप पत्र एव आरोप विवरण पत्र प्रसारित किए गए।

श्री सुभाष चन्द जैन पर निम्न आरोप अधिरोपित किये गये:–

आरोप संख्या 01

यह है कि आप श्री सुभाष चन्द जैन, औषधि नियत्रण अधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा उक्त पद पर कार्य करते हुए दिनाक 07 11 2003 को डॉ राजकिशोर तिवाडी के निजी क्लिनिक का जॉच दल सदस्य के रूप मे निरीक्षण किया सगठन को जिसकी जानकारी श्री तिवाडी की शिकायत से मिली, आप द्वारा उच्चाधिकारियो को नियमानुसार फीज की सूचना दी जानी चाहिए थी जो दुराचरण की श्रेणी मे आता है, जिसके लिए आप उत्तरदायी है।

आरोप संख्या 02

यह है कि आप श्री सुभाष चन्द जैन, औषधि नियत्रण अधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा उक्त पद पर कार्य करते हुए आप द्वारा डॉ राजकिशोर तिवाडी के क्लिनिक की जॉच के दौरान फीज की कार्यवाही करते समय भरे गये फार्म न 15 मे 07 औषधियो के नमूने लेने की बताई करते हुए कार्य निष्पादन मे कर्त्तव्य निर्वहन मे [illegible] परिलक्षित होता है क्योकि डॉ. पुष्पा तिवाडी से प्राप्त सैम्पल पर डॉ आर के तिवाडी के [illegible] औषधि एव प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 23 का स्पष्ट उल्लघन है को किये [illegible] है।

आरोप संख्या 03

यह है कि आप श्री सुभाष चन्द जैन, औषधि नियत्रण अधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा उक्त पद पर कार्य करते हुए आप द्वारा उक्त श्री राजकिशोर तिवाडी के क्लिनिक पर जॉच कार्यवाही के दौरान फर्द रिपोर्ट मे [illegible] 07 नमूने लिये गये अकित किया एव उन्ही का विवरण फार्म 15 पर अकित किया। जबकि सम्पल प्राप्ति के फार्म 17 से केवल 5 नमूने लेने की पुष्टि हुई है, जिसको स्पष्ट करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया एव आपके द्वारा उत्तर दिये जाने पर भी सन्देह का निवारण नही हुआ बल्कि यह सिद्व हुआ कि निरीक्षण व फीज, सीजर की कार्यवाही मे स्वय उच्च अधिकारियो को नियमानुसार सूचनाए देने कर्त्तव्य निष्ठा मे सजग न होकर आप द्वारा लापरवाही पूर्ण पूर्वक कार्यवाही की गई का प्रदर्शन किया है। अत आप कर्त्तव्य निर्वहन मे लापरवाही बरतने के उत्तरदायी है।

आरोप संख्या 04

यह है कि आप श्री सुभाष चन्द जैन, औषधि नियत्रण अधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा उक्त पद पर कार्य करते हुए आप द्वारा औषधियो इत्यादि की जब्ती की कार्यवाही औषधि एव प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 22 (C) एव 23 (5)(b) के प्रावधानो अनुसार डॉ. राजकिशोर तिवाडी के क्लिनिक से नही की जाकर अपितु वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सादडी को सम्बन्धित जब्ती मेमा के अनुसार वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सादडी से कर नियमो की अवहेलना की गई। जिसके लिए आप उत्तरदायी है।

श्री सुभाष चन्द जैन ने उन पर अधिरोपित आरोपो के क्रम मे दिनाक 29 04.2011 को अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् श्री जैन द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन का प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेख के साथ परीक्षण करने के उपरान्त इस विभाग की समसख्यक अशा टीप दिनाक 08 12 2011 द्वारा श्री जैन द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन पर प्रशासनिक विभाग से टिप्पणी चाही गई। प्रशासनिक विभाग ने दिनाक 26 03 2012 द्वारा अपनी टिप्पणी इस विभाग को प्रस्तुत की। तत्पश्चात् प्रशासनिक विभाग से प्राप्त टिप्पणी का प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेख के साथ परीक्षण करने पर श्री जैन द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन असन्तोषजनक पाये जाने पर प्रकरण की विस्तृत जॉच कराये जाने का निर्णय लिया जाकर इस विभाग के समसख्यक आदेश दिनाक 25 04 2012 द्वारा अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) विभागीय जाच विभाग, राज जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

जांच अधिकारी ने प्रकरण की विस्तृत जाच कर जाच प्रतिवेदन दिनाक 26 10 2015 द्वारा प्रस्तुत किया, जांच अधिकारी ने श्री सुभाष चन्द जैन पर अधिरोपित आरोपो को प्रमाणित नही माना। तत्पश्चात् जांच अधिकारी से प्राप्त जाच प्रतिवेदन का प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेख के साथ परीक्षण किये जाने के उपरान्त श्री जैन पर अधिरोपित आरोप संख्या 1,2 व 4 को आशिक रूप से प्रमाणित मानते हुए इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनाक 16 03 2016 द्वारा प्रकरण मे असहमति टिप्पणी जारी कर श्री जैन से अभ्यावेदन चाहा गया। श्री सुभाष चन्द जैन ने दिनाक 31 05 2016 द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

लगातार.....02

श्री सुभाष चन्द जैन ने अपने अभ्यावेदन में निवेदन किया है कि:-

आरोप संख्या 01 के सम्बन्ध में

उक्त जॉच कार्यवाही श्रीमान् जिला कलेक्टर के अधीन गठित स्थाई कार्यदल के तहत श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ के आदेश क्रमाक 457, दिनांक 07 11 2008 के टीम के सदस्य के रूप मे की गई थी। की गई कार्यवाही की सूचना दिनाक 08 11 2008 को ही श्रीमान मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को जरिये डॉ दयाल वाधवानी (जो कि टीम के प्रभारी तथा सदस्य भी थे) को मौके पर दे दी गई थी तथा डॉ वाधवानी ने अपने बयानों मे कथन कर स्वीकार भी किया है।

यह कि जॉच कार्यवाही मे की गई जब्ती की सूचना श्रीमान ओषधि नियत्रक जयपुर को माह नवम्बर 08 की मासिक रिपोर्ट के द्वारा दे दी गई थी। जिसका उल्लेख आरोप पत्र के आरोप 1 से सम्बन्धित अभिकथन मे स्पष्ट रूप से किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि जब्ती की सूचना श्रीमान् औषधि नियत्रक को भी दे दी गई थी।

इसके पश्चात् प्रकरण मे जॉच कार्य पूर्ण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट श्रीमान् सहायक औषधि नियत्रक चित्तौडगढ को दिनाक 25 02 09 को प्रस्तुत कर दी गई थी। इस प्रकार उक्त कार्यवाही की सूचना प्रगति अनुसार समय-समय पर यथा

दिनाक 08 11 08 को मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ को द्वारा उनके प्रतिनिधि डॉ दयाल वाधवानी वरिष्ठ चिकित्सक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बीडी सादडी

दिनाक 01 12 08 को श्रीमान् औषधि नियत्रक जयपुर को मासिक रिपोर्ट के जरिये।

दिनाक 25 02 09 को श्रीमान् सहायक औषधि नियत्रक चित्तौडगढ को जॉच अधिकारी ने अपने प्रधान प्रतिपरीक्षण मे भी स्वीकार किया है कि "मेरी जॉच रिपोर्ट क अन्तिम पैरा मे स्पष्ट है कि कोई अनैतिक कार्य नही हुआ है।"

उपरोक्त तथ्य प्रस्तुत कर निवेदन है कि की गई कार्यवाही एव प्रगति की सूचना समय-समय पर उच्च अधिकारियों को दे दी गई थी। अत आरोप आधार विहिन है तथा जॉच अधिकारी ने स्वय स्वीकार किया है कि इसमे कोई अनैतिक कार्य नही हुआ है और ना ही कोई निजी स्वार्थ प्रमाणित है।

आरोप संख्या 02 के सम्बन्ध मे-

डॉ पुष्पा तिवारी सेम्पल लेते समय मौके पर मौजूद नही थी इसलिए लिये गये नमूने तथा फार्म 17 डॉ आर के तिवाडी को रसीद प्राप्त कर सौंपे गये। प्रत्येक फार्म पर उन्होने स्पष्ट रूप से लिखा है।

" Received one sealed sample & copy of Form No 17" जो कि ईएक्सपी 2 के पृष्ठ सख्या 30,31,33, व 34 पर सलग्न है।)

औषधि एव प्रावधान सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 23(3) के अनुसार जिस व्यक्ति से सेम्पल लिये जाने है यदि वह अपनी इच्छा से अनुपस्थित रहता है तो भी सेम्पल की कार्यवाही की जा सकती है। सलग्न 1 पृष्ठ 24 औषधि एव प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 सन्दर्भ धारा 23(3)

अग्रिम निवेदन है कि फार्म 17 सिर्फ "Intimation to person from whom sample is taken" जिस पर ना तो जिस व्यक्ति से नमूना लिया गया है उसके और ना ही स्वतन्त्र गवाहो के हस्ताक्षर करवाने की अधिनियम मे कोई प्रावधान/बाध्यता ही है। II' III & IV (सलग्न औषधि एव प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के नियम 56 एव 145A एव फार्म न 17 की प्रतियॉ)

जॉच अधिकारी पीडब्ल्यू-5 ने अपने बयान प्रतिपरीक्षण मे कथन किया है कि ड्रग्स एक्ट के सेक्शन 23 के अनुसार सम्पल पर स्वतत्र गवाहो के हस्ताक्षर आवश्यक नही है। डॉ आर के तिवाडी की फार्म 17 पर हस्ताक्षर करवाकर रसीद इस बात की पुष्टि के लिए ली गई कि मौके पर नमूने तथा फार्म ने 17 जिम्मेदार व्यक्ति को मौके पर सौप दिये गये थे।

इस प्रकार इसमे किसी नियम/धारा का उल्लघन नही हुआ है और ना ही उसके पीछे गुप्त अनैतिक उद्देश्य और ना ही कोई प्रकट उद्देश्य प्रमाणित है।

आरोप संख्या 04 के सम्बन्ध मे-

श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्तौडगढ को की गई कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट करते हुए जब्तशुदा औषधियो की अभिरक्षा बाबत औषधि एव प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 23 (5)(b) के सैकेण्ड पार्ट का पत्र प्रस्तुत किया।

माननीय न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यो का पूर्ण रूप से विवेचन करने के पश्चात् की गई कार्यवाही को समुचित मानते हुए उक्त अधिनियम की धारा 23 (5)(b) के तहत सुरक्षित अभिरक्षा के आदेश प्रदान किये है।

जॉच अधिकारी पीडब्ल्यू-5 ने अपनी जॉच रिपोर्ट (EXP9 के पृष्ठ क्रमाक 225) मे स्पष्ट निष्कर्ष स्थापित किया है कि माननीय न्यायालय के समक्ष समस्त तथ्य प्रकट होने एव उन तथ्यो को नियमानुसार कार्यवाही मानकर ही अभिरक्षा आदेश पारित किये है।

लगातार - 03

उन्होने अपने बयान प्रति परीक्षण मे भी कथन किया है कि माननीय न्यायालय ने समस्त कार्यवाही विधि अनुसार मानकर ही अभिरक्षा (Custody) आदेश प्रदान किये है।

तत्पश्चात् श्री जैन से प्राप्त अभ्यावेदन का एवं जांच अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन का प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेख के साथ परीक्षण किया गया जिसका विवेचन निम्नानुसार है:—

आरोप सख्या 01 के क्रम मे:—

उपलब्ध रिकार्ड से यह प्रमाणित है कि श्री जैन के विरूद्ध आरोप सख्या 01 यह लगाया गया है कि श्री जैन द्वारा दिनाक 07 11 2008 को डॉ राजकिशोर तिवाडी के निजी क्लीनिक का जॉच दल सदस्य के रूप मे निरीक्षण किया जिसके क्रम मे श्री तिवाडी की शिकायत प्राप्त हुई। श्री जैन द्वारा उच्च अधिकारियो को नियमानुसार फ्रीज की सूचना दी जानी चाहिए थी उक्त क्रम मे श्री राजकिशोर तिवाडी द्वारा प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एव स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर को पत्र दिनाक 06 02 2009 द्वारा श्री जैन के विरूद्ध शिकायत की गई है। उक्त शिकायत की जॉच सहायक औषधि नियत्रक चित्तौडगढ द्वारा की गई है। उक्त जॉच रिपोर्ट मे यह प्रमाणित किया गया है कि श्री सुभाषचन्द जैन ने की गई कार्यवाही की सूचना उच्च अधिकारियो को समय पर प्रस्तुत नही की। जबकि पूर्ण कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु उनको पत्र दिनाक 08 12 2008, दिनाक 02 01 2009, दिनाक 12 02 2009 व 20 02 2009 द्वारा सूचित किया गया। श्री जैन ने दिनाक 25 02.2009 को स्पष्टीकरण सहित प्रस्तुत की गई है। उक्त तथ्य की पुष्टि सहायक औषधि नियत्रक चित्तौडगढ के पत्र दिनाक 12 03 2009 से भी होती है। गवाह श्री वी के जैन ने अपने बयानो मे उक्त दस्तावेजात जारी किये जाने की भी पुष्टि की गई है।

उक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि श्री जैन द्वारा सन्दर्भित पत्र दिनाक 08 12 2008, 02 01.2009, 12 02 2009, 20 02 2009 जारी किये जाने के पश्चात् सन्दर्भित रिपोर्ट दिनाक 25 02 2009 को प्रस्तुत की है। इस प्रकार श्री जैन द्वारा सन्दर्भित सूचना देर से प्रस्तुत करना प्रमाणित है।

जहा तक श्री जैन का कथन है कि दिनाक 08 11 2008 को जरिये डाक्टर दयाल बादवानी मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी को मौके पर ही दे दी थी व औषधि नियत्रक जयपुर को जप्ति की सुचना माह नवम्बर 2008 की मासिक रिपोर्ट के द्वारा प्रस्तुत कर दी गई थी उक्त क्रम मे लेख है कि यद्यपि गवाह डॉ दयाल बदवानी के बयानो से सम्बन्धित सूचना मौके पर दिये जाने का बयान दिया है परन्तु सन्दर्भित प्रकरण मे की गई प्राथमिक जॉच से यह भी स्पष्ट है कि श्री जैन द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना उच्च अधिकारियो को समय पर प्रस्तुत नही की गई हैं जबकि पूर्ण कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु उनको दिनाक 08 12 2008, 02 01 2009, 12 02 2009, 20 02 2009 को द्वारा सूचित किये जाने के पश्चात् उन्होने दिनाक 25 02 2009 का स्पष्टीकरण सहित रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उक्त तथ्य स्पष्ट करते है कि उच्चाधिकारियो को श्री जैन द्वारा औषधियो को फ्रिज करने की कार्यवाही की सूचना समय पर प्राप्त नही हुई है व उच्च अधिकारियो द्वारा बार–बार श्री जैन से सूचना चाही गई है व उन्होने दिनाक 20.02 2008 को लम्बे अन्तराल बाद उक्त सूचना उपलब्ध कराई है। अत श्री सुभाषचन्द जैन के विरूद्ध लगाया गया आरोप सख्या 01 आशिक रूप से प्रमाणित होता है।

आरोप सख्या 02 के क्रम मे –

उक्त आरोप के क्रम मे उपलब्ध रिकार्ड से यह प्रमाणित है कि श्री जैन ने डॉ राजकिशोर तिवाडी के निजी क्लिनिक फ्रीज की कार्यवाही करते समय भरे गये फार्म न 15 मे 07 औषधियो के नमूने लिये जाने व डॉ पुष्पा तिवाडी से प्राप्त सैम्पल पर डॉ आर के तिवाडी के हस्ताक्षर करवाना औषधि एव प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 23 का स्पष्ट उल्लघन किया है। उक्त क्रम मे जो सहायक औषधि नियत्रक चितौडगढ की जॉच रिपोर्ट है से स्पष्ट है कि जॉच के दौरान फ्रीज की गई कार्यवाही मे बनायी गई लिस्ट मे औषधियो के नीचे नमूने लेने का विवरण अकित है मगर मौका रिपोर्ट मे जिस पर सभी सदस्य एव डॉ राजकिशोर तिवाडी के स्वय हस्ताक्षर अकित है अनुसार 05 नमूने जॉच हेतु लिये गये मगर टिप्पणी सभी पर अकित हो गयी । इस बाबत श्री सुभाष जैन ने अपने स्पष्टीकरण्स मे अकित किया है कि ए एज एम बैच न ए–2867 का नमूना इसलिए नही लिया गया कि उसकी अवधिपार तिथि 01/2009 बहुत करीब थी तथा टेबलेट सीआईपी टीईरा–500 का नमूना इसलिये नही लिया गया कि इस औषधि का पूर्व मे लिया गया नमूना मानक कोटि का घोषित हो चुका था मौके पर बनाई गई लिस्ट मे हेराफेरी के क्रम मे यह भी निष्कर्ष जारी किया गया है कि मौके पर बनाई गई औषधियो की सूची मे दो औषधियो बाद मे जोडी जाने के सम्बन्ध मे सूची का अवलोकन पर्याप्त है। श्री सत्यनारायण आमेटा, डॉ दयाल मादवानी, डॉ रमेश मेहता जो निरीक्षण दल के अन्य सदस्य थे ने स्पष्ट कथन किया है कि मौके पर बनाई गई सूची मे किसी प्रकार की हेराफेरी नही की गई व कमेटी के अन्य सदस्यो के हस्ताक्षर है इस प्रकार मौके पर बनाई गई लिस्ट मे किसी प्रकार का हेराफेरी किया जाना प्रमाणित नही हो रहा है।

जहॉ तक डॉ पुष्पा तिवाडी से प्राप्त सैम्पल पर डॉ आर के तिवाडी के हस्ताक्षर करवाने का प्रश्न है उक्त क्रम मे यह प्रमाणित है कि पॉचो प्रपत्र–17 पर कमेटी के किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर नही है एवं डॉ राजकिशोर तिवाडी व डॉ पुष्पा तिवाडी पति–पत्नि है तथा सयुक्त रूप से क्लिनिक चलाते है। दोनो ही मौके पर उपस्थित थे ऐसी स्थिति मे यह यद्यपि औषधि एव प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 23 के प्रावधानो के अनुसार तकनीकी त्रुटि है इस त्रुटि के पीछे न तो कोई गुप्त अनैतिक उद्धेश्य है व न ही कोई प्रकट उद्धेश्य है।

लगातार....04

इस प्रकार श्री जैन के विरूद्ध प्रपत्र 17 पर डॉ पुष्पा तिवाडी से प्राप्त सैम्पल पर डॉ आर के तिवाडी के हस्ताक्षर करवाना प्रमाणित है व औषधि एव प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 23 का स्पष्ट उल्लघन है परन्तु उक्त क्रम मे कोई अनैतिक उद्देश्य नही होने के कारण श्री जैन के विरूद्ध अधिरोपित आरोप सख्या 02 आशिक रूप से प्रमाणित होता है।

जहॉ तक श्री जैन का कथन है कि डॉ पुष्पा तिवाडी सैम्पल लेते समय मौके पर मौजूद नही थी इसलिए लिये गये नमूने तथा फार्म–17, डॉ आर के तिवाडी को रसीद प्राप्त कर सौप दिये गये थे व औषधि प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 23(3) के तहत यदि वह अपनी ईच्छा से अनुपस्थित रहता है तो भी सैम्पल की कार्यवाही की जा सकती है व मौके पर नमूने तथा फार्म न 17 जिम्मेदार व्यक्ति को मौके पर सौपा गया है उक्त क्रम मे लेख है कि प्रकरण मे की गई प्राथमिक जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि प्रपत्र–17 पर कमेटी के किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर नही है व डॉ राजकिशोर तिवाडी व डॉ पुष्पा तिवाडी पति/पत्नि है तथा सयुक्त रूप से क्लिीन चलाने है दोनो ही मौके पर उपस्थित थे ऐसी स्थिति मे श्री जैन द्वारा फार्म पुष्पा तिवाडी का भरा गया तथा हस्ताक्षर डॉ राजकिशोर तिवाडी के करवाये गये जो औषधि व प्रशाधन सामग्री अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानो के अनुसार तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण है, परन्तु श्री जैन का उक्त क्रम मे कोई अनैतिक उद्देश्य प्रकट नही होता है व मानवीय भूल की है। अत श्री जैन का कथन स्वीकार योग्य नही है व उसके विरूद्ध लगाया गया आरोप सख्या 02 आशिक रूप से प्रमाणित होता है।

आरोप सख्या 03 के क्रम मे–

उक्त आरोप के क्रम मे उपलब्ध रिकार्ड से यह प्रमाणित हुआ है कि मौका रिपोर्ट मे स्पष्ट रूप से अंकित है कि फ्रीज की गई दवाओ मे से वास्ते जॉच 5 नमूने D&C Act 1940 के प्रावधानो के तहत लिये गये। इसके अलावा गवाहो PW2, PW3, PW4, PW5, PW6 ने अपने साक्ष्य मे 5 ही नमूने लेने की पुष्टि की है। PW5 सहायक औषधि नियत्रक चित्तौडगढ ने अपनी जॉच प्रतिवेदन मे 5 नमूने लिये जाना पाया है अभिलेख के अनुसार इस तथ्य की पुष्टि होती है। मोके पर जब्तशुदा औषधियो जो कि अभिलेखीय अनुसार TAB Ciptac 500 एव Inj Alpamet का नमूना नही लिया गया है, उनके सामने 'X' मार्क किया गया है तथा इनके नमूने नही लेने का कारण PW5 ने अपनी जॉच रिपोर्ट में इसे उचित माना है एव सम्बन्धित आरोप निराधार माना है जिन दो औषधियो के नमूने नही लिये जाने का प्रश्न है उक्त क्रम मे अभिलेख से स्पष्ट है कि एएलएम बैच न ए–2867 का नमूना इस लिये नही लिया गया कि उसकी अवधिपार तिथि 01/2009 बहुत करीब थी तथा टेबलेट सीआईपी टीईसी–500 का नमूना इस लिये नही लिया गया कि इस औषधि का पूर्व मे लिया गया नमूना मानक कोटि का घोषित हो चुका था।

अत उक्त विवेचन के आधार पर श्री सुभाषचन्द जैन के विरूद्ध लगाया गया आरो सख्या 03 प्रमाणित पाये जाने की स्थिति मे नही है व उक्त क्रम मे जॉच अधिकारी का निष्कर्ष स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आरोप सख्या 04 के क्रम मे–</u>

उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जॉच कार्यवाही मे यह प्रमाणित हुआ है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्तौडगढ को की गई कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण स्पष्ट करते हुए जब्तशुदा औषधियो की अभिरक्षा वास्ते औषधि एव प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 23(5)(b) के तहत् प्रार्थना पत्र प्ररतुत किया। जो कि अभिलेख मे EXP9 पर सलग्न है।

माननीय न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यो का पूर्ण रूप से विवेचेन करने के पश्चात् की गई कार्यवाही को समुचित मानते हुए उक्त अधिनियम की धारा 23 (5)(b) के तहत् सुरक्षित अभिरक्षा के आदेश प्रदान किये हैं जो अभिलेख पत्रावली मे सलग्न है।

प्राथमिक जॉच अधिकारी PW5 ने अपनी जॉच रिपोर्ट मे स्पष्ट निष्कर्ष स्थापित किया है कि माननीय न्यायालय के समक्ष समस्त तथ्य प्रकट होने एव उन तथ्यो को नियमानुसार कार्यवाही मानकर ही अभिरक्षा आदेश पारित किये हैं।

उन्होने अपने बयान प्रति परीक्षण मे भी कथन किया है कि माननीय न्यायालय ने समस्त कार्यवाही विधि अनुसार मानकर ही अभिरक्षा (Custody) आदेश प्रदान किये है।

अत उक्त तथ्यो के आधार पर श्री सुभाषचन्द जैन के विरूद्ध लगाया गया आरोप सख्या 04 प्रमाणित नही होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर श्री सुभाषचन्द जैन, तत्कालीन औषधि नियत्रक अधिकारी, चित्तौडगढ के विरूद्ध अधिरोपित आरोप सख्या 1 व 02 आशिक रूप से प्रमाणित एव आरोप सख्या 03 व 04 प्रमाणित नही होते है।

चूकि प्रकरण मे श्री जैन राज्यसेवा से 31 03 2013 को सेवानिवृत्त हो चुके है। श्री सुभाष चन्द जैन के विरूद्ध अधिरोपित आरोप आशिक रूप से प्रमाणित पाये जाने पर राजस्थान पेशन नियम 1996 के नियम–7(1) के अन्तर्गत श्री जैन को देय पेशन राशि का 10 (दस) प्रतिशत भाग एक वर्ष के लिए रोके जाने का अन्तिम निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया।

लगातार... 05

तत्पश्चात् इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 06.07.2017 द्वारा प्रकरण में श्री सुभाष चन्द जैन के सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा लिये गये अन्तिम निर्णय जिसके द्वारा श्री जैन को देय पेंशन राशि का 10 (दस) प्रतिशत भाग एक वर्ष के लिए रोके जाने पर आयोग का परामर्श चाहा गया।

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपने पत्र क्रमांक 1(24)वि.जा./2017-18/46, दिनांक 30.07.2018 द्वारा श्री जैन के सन्दर्भ में लिए गये निर्णय पर अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात् प्रकरण में माननीय राज्यपाल महोदय का दिनांक 14.09.2018 को अनुमोदन प्राप्त किया गया।

अतः माननीय राज्यपाल प्रस्तुत प्रकरण में श्री सुभाषचन्द जैन, तत्कालीन औषधि नियंत्रक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध अधिरोपित आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित पाये जाने पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 के नियम-7(1) के अन्तर्गत श्री जैन को देय पेंशन राशि का 10(दस) प्रतिशत भाग एक वर्ष के लिए रोके जाने के दण्ड से दण्डित किए जाने के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

-Sd-
(महेन्द्र कुमार खींची)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :-

01 ज.एस. (पीएस) मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके बार कोड क्रमांक - एफ 17001735 दिनांक 01.06.2017 के सन्दर्भ में।
02 उप सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग को उनके पत्र क्रमांक 1(24)वि.जा./2017-18/46, दिनांक 30.07.2018 के क्रम में।
03 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग।
04 निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
05 निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
06 अनुभागाधिकारी, कार्मिक(क-1/ग्रो.प्र.) विभाग। (जन्म तिथि 14.03.1953)
07 अनुभागाधिकारी, कार्मिक (क-3/निरीक्षण) विभाग। 10(197)2010
08 श्री सुभाष चन्द जैन, तत्कालीन औषधि नियंत्रक अधिकारी (आदेश की एक अतिरिक्त प्रमाणित प्रति एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग की राय की प्रति संलग्न है।)
द्वारा:-शासन उप सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग
09 रक्षित पत्रावली।

(विजय सिंह)
अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक - सी.पी./राज.प./एस-720/2019/352 दिनांक 15/5/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1 शासन संयुक्त सचिव कार्मिक(क-3/निरी.)विभाग, राज0 जयपुर को उनके आदेश क्रमांक प.1(244)का/क-3/जांच/2010 दिनांक 15.11.2018 के क्रम में।
2 शासन उप सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन उदयपुर।
4 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को प्रेषित कर लेख है कि श्री सुभाष चन्द जैन, तत्का0 औषधि नियंत्रक, को तामिल करवाकर तामिल रसीद भिजवाना सुनिश्चित करें।
5 अति0 प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित अनुभाग/डीपीसी, मुख्यालय।
6 श्री सुभाष चन्द जैन, तत्का0 औषधि नियंत्रक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
7 औषधि नियंत्रक (प्रथम) मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश श्री सुभाष चन्द जैन, तत्का0 औषधि नियंत्रक को अपने स्तर से भी तामील करवाकर तामील रसीद भिजवाना सुनिश्चित करावें।
8 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
9 आदेश/रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

INS/LLO No.